

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/संरचना के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (स्वयंसेवा, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी शक्तिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत भवनों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल श्रेणिकी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक ३१३ दिनांक २९-०१-२०२१
प्राधीश्रीमती कल्पना शर्मा द्वारा श्री राज कुमार शर्मा
ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम २००९ P.No. २-२४-५१ धारा १९४ (7) (घ) के तहत आवासीय
भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश
कर स्वनिर्धारण राशि रुपये ₹ 132/- जमा
जरिये रसीद संख्या १०६९/११५१, ११५२
दिनांक २९-०१-२०२१ को जमा करा दी है ।

११/१/२०२१
सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

१५/१/२०२१
२-२०२१
१५/१/२०२१